समाहरणालय, बक्सर
(जिला प्रोग्राम कार्यालय)
आई0सी0डी0एस0

E-mail ID- dpo.bux@gmail.com
Mobile No—9431005024

I.C.D.S

आदेश

प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक **1105/13–14**, दिनांक **10.10.2013** एवं परियोजना निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक **1658/16–17**, दिनांक **06.02.2017** द्वारा प्राप्त निदेशानुरूप महिला विकास निगम अन्तर्गत महिला हेल्पलाईन, बक्सर में जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधक एवं अंशकालीन अधिवक्ता का नियोजन अनुबंध के आधार पर करने के निमित दिनांक **12.07.2019** को साक्षात्कार हेतु बैठक आयोजित की गई।

दिनांक **12.07.2019** को आयोजित साक्षात्कार की कार्यवाही ज्ञापांक **718**, दिनांक **29.08.2019** के माध्यम से प्रकाशित वरीयता सूची पर किये गये दावा आपत्ति का निराकरण करते हुए ज्ञापांक 859 दिनांक 27.09.2019 के माध्यम से परियोजना प्रबंधक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयनित अभ्यर्थी को निम्नांकित शर्तो के साथ नियोजित किया जाता है, जिनका नाम एवं पता निम्नवत् है :–

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	चयनित पद का नाम	पदस्थापित कार्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती बन्टी देवी पिता/पति कुशवाहा बुद्धेश्वर सिंह, ग्राम–ईस्माइलपुर, पो0–गजाधरगज, थाना–बक्सर मु0, जिला–बक्सर, पीन कोड–802103	परियोजना प्रबंधक	महिला हेल्पलाईन, समाहरणालय, बक्सर

शर्ते :–

1. कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर बिना सूचना के संविदा समाप्त कर दी जायेगी।
2. परियोजना प्रबंधक के पद पर नियोजित अभ्यर्थी को प्रतिमाह **20,000/–** की दर से मानदेय देय होगा।
3. यह नियोजन पूर्ण रूप से संविदा आधारित एवं अस्थायी है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। इसके लिए नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न हीं सरकारी सेवकों को अनुमान्य सुविधा के हकदार होंगे। इनका नियोजन महिला विकास निगम के अधीन होगा।
4. नियोजित अभ्यर्थियों को मानदेय का भुगतान उनके प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के पश्चात् देय होगा। सत्यापन के क्रम में यदि उनका प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है तो उनके विरूद्ध दण्डानात्मक कार्रवाई की जायेगी।
5. नियोजित अभ्यर्थियों को योगदान हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
6. यदि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना योगदान नहीं देते है तो उनका संविदा समाप्त करते

7. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, शादी में दहेज न लेने–देने का तथा शराब का सेवन न करने का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Sd/-
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 866 /बक्सर,दिनांक 30 / 09 /2019

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार, पटना

उप विकास आयुक्त, बक्सर

वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर

आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, बक्सर

संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/09/19

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।